राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./RAJKAJ-00997/2018–19 जयपुर, दिनांक : 11 JUL 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को समूहवार कार्य सम्पादन व भुगतान हेतु प्रपत्र में सूचना भिजवाने बाबत।**

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20.07.2010, 09.05.2018, 06.06.2018 एवं एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट 2015 दिनांक 10.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को फार्म नंबर 6 (फार्म मांगने हेतु आवेदन पत्र) की पावती रसीद जारी करने एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर समूह में नियोजित करने एवं किए गए कार्य के अनुसार समूहवार अलग–अलग दरों से भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशों में यह भी कहा गया था कि इस हेतु मेटों को गहन प्रशिक्षण दिया जावे तथा ब्लॉक एवं जिला स्तर पर लगातार समीक्षा की जावे। कुछ जिलों से वार्ता करने पर यह पाया गया है कि उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है।

इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रति माह समीक्षा की जानी है। अतः संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समूहवार भुगतान के संबंध में सूचना ई–मेल xenegsrdd@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस समस्त राजस्थान।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

समूहवार कार्य सम्पादन व भुगतान का मॉनिटरिंग प्रपत्र

क्र. सं.	जिला	माह	पखवाडा		पखवाडे में कुल प्रगतिरत कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या			% कार्यों की संख्या 10 = 9/8 x 100	कॉलम संख्या 10 में % 100 से कम है तो पत्र दिनांक 10.05.18 की पालना हेतु की गई कार्यवाही	क्या जिला स्तर पर समूह माप, अलग–अलग मजदूरी दर से भुगतान एवं निरीक्षण को सुनिश्चित करने हेतु डीपीसी/एडीपीसी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है	समूहों की संख्या				विशेष विवरण
			Ist	IInd		जिनमें समूहवार श्रमिकों का नियोजन नहीं किया जा सकता	जिनमें समूहवार श्रमिकों का नियोजन किया जा सकता था 8 = 6-7	जिनमें समूहवार श्रमिकों का नियोजन किया गया			हाँ/नहीं	कुल कार्यरत समूह	उन समूहों की संख्या जिनमें प्रति श्रमिक प्रति दिवस अर्जित मजदूरी समान है	प्रति श्रमिक प्रति दिवस अर्जित मजदूरी — अधिकतम	प्रति श्रमिक प्रति दिवस अर्जित मजदूरी — न्यूनतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम सन्वयक ईजीएस

Scanned by CamScanner